



રાજ્યાનુસારક
વન્ન વિભાગ

કાર્ય આયોજના

વન્ન મણ્ડળ, જોધપુર
2013-14 સે 2022-23

પ્રસ્તુતકર્તા

મહેન્દ્ર સિંહ રાખૌડ રા.વસે
કાર્ય આયોજના અધિકારી



નિર્દેશન

શ્રી એસ.કૃષ્ણના, રા.વસે
મુખ્ય વન્ન સંરક્ષક, કાર્ય આયોજના,
સાઝ જયપુર

શ્રી એ.કૈ. સિંહ, રા.વસે
મુખ્ય વન્ન સંરક્ષક,
જોધપુર

માર્ગદર્શન

શ્રી એ.સી. ચૌબે, રા.વસે
પ્રધાન મુખ્ય વન્ન સંરક્ષક
કાર્ય આયોજના એવ વન્ન બન્દોબસ્તા સાઝ જયપુર

સત્યાપિત પ્રતિલિપિ

ઉપ વન સંરક્ષક
જોધપુર

Chapter X

क्र.सं.	अध्याय 10	Chapter X
	भू-संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यवृत्त	Soil Conservation and Rehabilitation Working Circle
10.1	कार्यवृत्त का सामान्य गठन	General Constitution of the Working Circle
10.2	कार्यवृत्त के विशिष्ट उद्देश्य	Special Objectives of the Working Circle
10.3	वन संपदा का विशलेषण एवं मूल्यांकन	Analysis & valuation of the Forest
10.4	उपचार विधियाँ	Methods of Treatment
10.5	जल संरक्षण हेतु उपचार विधियाँ	Water Conservation Systems & Treatments
10.6	वित्तीय पूर्वानुमान	Financial Forecast

सत्यापित प्रतिलिपि

६
उप वन संरक्षक
जोधपुर

अध्याय— 10

भू संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यवृत्त

Chapter X

Soil Conservation and Rehabilitation Working Circle

10.1 कार्यवृत्त का सामान्य गठन

जोधपुर जिले का अधिकांश भाग रेतीला है। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण तीव्र गति से चलने वाली आंधियों के द्वारा मृदासंरक्षण बहुत तीव्र गति से होता है। वायु वेग के कारण खेतों और धोरों की मिट्ठी उड़कर अन्यत्र चली जाती है। और इस प्रकार मृदा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिले के पहाड़ी एवं ढलान युक्त भू-भाग में वनस्पति आच्छादन नगण्य होने के कारण कम वर्षा में भी जल तीव्र गति से बहकर चला जाता है। और अत्यंत अल्प मात्रा में उपलब्ध मृदा को भी बहा ले जाता है। इस प्रकार वर्षा के जल का भू-जल स्तर को कोई लाभ नहीं होता। इस कारण जोधपुर जिले के वन प्रबंधन में भू संरक्षण एवं पुनर्वास वृत्त का गठन आवश्यक है। इस कार्यवृत्त में जोधपुर वन मण्डल के 70 वनखण्ड सम्मिलित किये गये हैं। जिनका क्षेत्रफल 15789.78 है।

वृत्त में सम्मिलित रेजवार वन खण्डों की संख्या एवं उनका क्षेत्रफल निम्नानुसार है

क्र०सं०	रेज का नाम	कुल वनखण्ड का क्षेत्रफल		भू संरक्षण एवं पुनर्वास	
		संख्या	क्षेत्रफल है०	वनखण्ड	क्षेत्रफल (है०)
1	मण्डोर	20	6848.5	8	5212.33
2	लूपी	2	249.44	-	-
3	बिलाड़ा	29	5484.03	20	4379.68
4	भोपालगढ़	17	2386.96	17	2386.96
5	ओसियां	31	4281.87	25	3810.81
6	शेरगढ़	3	142.19	-	-
7	बालेसर	1	40.48	-	-
8	फलौदी	4	457.1	-	-
9	बाप	4	247.13	-	-
	योग	111	20137.7	70	15789.78

सत्यापित् प्रतिलिपि

उप वन संग्राहक
जोधपुर

भू संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यवृत्त में शामिलित वनखण्डों की सूची

क्र.सं.	रेजि	वन खण्ड	रिका ₹०	कुल क्रोत्रफल ₹०
1	मण्डोर	मोतीसरा 1/2	92.71	192.71
2	मण्डोर	मोतीसरा 2/2	60.47	288.47
3	मण्डोर	चानणा 1/2	56.7	241.7
4	मण्डोर	चानणा 2/2	63.2	155.02
5	मण्डोर	बड़ा भाखर 1/4	126.5	346.5
6	मण्डोर	बड़ा भाखर 2/4	117	297
7	मण्डोर	बड़ा भाखर 3/4	126.36	596.36
8	मण्डोर	बड़ा भाखर 4/4	40.36	370.36
9	मण्डोर	बेरी गंगा	1440	2050
10	मण्डोर	लाल सागर	50.36	98.26
11	मण्डोर	देव कुण्ड 1/3	118.46	238.46
12	मण्डोर	देव कुण्ड 2/3	104.85	204.85
13	मण्डोर	देव कुण्ड 3/3	54.7	114.7
14	मण्डोर	माचिया द्वितीय	10.62	13.62
15	मण्डोर	बड़ा भाखर द्वितीय	3.32	4.32
16	बिलाडा	सोवनिया	7	17.45
17	बिलाडा	ओलवी	24.08	109.08
18	बिलाडा	होल्पुर कला	10.74	109.74
19	बिलाडा	लवेरा कला प्रथम	573.5	1064.16
20	बिलाडा	लवेरा कला द्वितीय	257.64	703.64
21	बिलाडा	लवेरा कला तृतीय	50.32	169.32
22	बिलाडा	कजनाउ प्रथम	14.28	44.28

रात्यापित् प्रतिलिपि

उप वन संरक्षक
जोधपुर

23	बिलाडा	कजनाऊ द्वितीय	65.38	148.38
24	बिलाडा	कजनाऊ तृतीय	21.66	40.66
25	बिलाडा	कजनाऊ चूर्द	300.13	544.13
26	बिलाडा	बुचेटी प्रथम	5.7	18.70
27	बिलाडा	बुचेटी द्वितीय	6.15	18.15
28	बिलाडा	बुचेटी तृतीय	2.13	27.13
29	बिलाडा	विराई प्रथम	225	481.79
30	बिलाडा	विराई द्वितीय	130.28	310.28
31	बिलाडा	भटकोरिया	11.71	11.71
32	बिलाडा	मेलाणा प्रथम	185.1	427.10
33	बिलाडा	मेलाणा द्वितीय	11.32	41.32
34	बिलाडा	मेलाणा तृतीय	34.57	54.57
35	बिलाडा	नेतडा	20.09	38.09
36	भोपाल गढ़	तोडियाना प्रथम	1.09	21.09
37	भोपाल गढ़	तोडियाना द्वितीय	121.1	175.10
38	भोपाल गढ़	रतकुडिया 1/2	54.4	98.40
39	भोपाल गढ़	रतकुडिया 2/3	160	200.00
40	भोपाल गढ़	देवातडा	10.42	17.72
41	भोपाल गढ़	बागोरिया प्रथम	34.3	69.30
42	भोपाल गढ़	बागोरिया द्वितीय	3.94	23.94
43	भोपाल गढ़	बन्धडा 1/2	60	200.00
44	भोपाल गढ़	बन्धडा 2/2	163.15	223.15
45	भोपाल गढ़	खारिया खंगटा 1/3	30.8	50.80
46	भोपाल गढ़	खारिया खंगटा 2/3	55	285.00

सत्यापित् प्रतिलिपि

उप वन संरक्षक
जोधपुर

47	भोपाल गढ़	खारिया खंगटा 3 / 3	25	39.00
48	भोपाल गढ़	खांगटा प्रथम	9.99	9.99
49	भोपाल गढ़	खांगटा द्वितीय	21.13	31.13
50	भोपाल गढ़	सुरपुरा खुर्द	74	84.01
51	भोपाल गढ़	खवासपुरा	159.89	237.89
52	भोपाल गढ़	अरटिया कला	264.03	264.03
53	भोपाल गढ़	मेरासिया	86.12	155.12
54	भोपाल गढ़	चौकड़ी खुर्द प्रथम	1.76	9.76
55	भोपाल गढ़	चौकड़ी खुर्द द्वितीय	73.08	151.06
56	भोपाल गढ़	गजसिंह पुरा	10.47	40.47
57	ओसियां	ओसियां प्रथम	35	40.00
58	ओसियां	ओसियां द्वितीय	84	138.74
59	ओसियां	ओसियां तृतीय	22	28.65
60	ओसियां	ओसियां चतुर्थ	110	137.43
61	ओसियां	ओसियां पंचम	33	52.94
62	ओसियां	ओसियां षष्ठम	200	301.44
63	ओसियां	ओसियां सप्तम	36.92	59.92
64	ओसियां	बालरवा प्रथम	114.05	156.05
65	ओसियां	बालरवा द्वितीय	731.1	796.10
66	ओसियां	बालरवा तृतीय	2	2.47
67	ओसियां	बालरवा चतुर्थ	6	6.97
68	ओसियां	राजासनी	14	17.01
69	ओसियां	गोपासरिया प्रथम	8	13.45
70	ओसियां	गोपासरिया द्वितीय	76	112.84

71	ओसियां	गोपाराशिया तृतीय	12	19.27
72	ओसियां	भारी नगर प्रथम	29	40.00
73	ओसियां	भारी नगर द्वितीय	0	91.94
74	ओसियां	खारडा मेवारा प्रथम	186	203.97
75	ओसियां	खारडा मेवारा द्वितीय	202	235.86
76	ओसियां	रामपुरा भाटियान	182	247.20
77	ओसियां	चमोद नगर भवाद	567.79	779.79
78	ओसियां	खारडा मेवारा	10	13.44
79	ओसियां	भीकमकोर	178	300.00
80	ओसियां	मथानिया	6.89	6.89
81	ओसियां	बेठवासिया	7	8.44
		योग		15789.78

10.2 कार्यवृत के विशिष्ट उद्देश्य

मरुस्थलीय प्रदेश का जिला होने के कारण यहाँ के वन क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण के लिये विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस प्रबंधन वृत का गठन किया गया है।

1. भूमि के कटाव को रोककर पहाड़ी क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण करना।
2. रेतीले टीलों की उपरी परत को तीव्र वेग की आँधियों के कारण उड़ने से बचाकर मृदा संरक्षण करना।
3. चलायमान टीब्बों का स्थरीकरण कर खेतों, नाड़ी एवं तालाबों की रक्षा करना।
4. मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र में जल संरक्षण एवं मृदा में नमी के स्तर को बढ़ाना व अधिक समय तक संग्रहित रखना।
5. तीव्र वायु के कारण मौजूद वनस्पति की जड़ों से रेत के निकल जाने के कारण पेड़ पौधों को होने वाली क्षति एवं उखड़ने से बचाना।
6. नवीन वृक्षारोपण वाले क्षेत्रों में मृदा जल संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करना।

सत्यापित् प्रतिलिपि

उप वन संरक्षक
जोधपुर

7. मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाली वनस्पति की गुणवत्ता में सुधार एवं वृद्धि सुनिश्चित करना।
 8. मृदा एवं जल संरक्षण के माध्यम से क्षेत्र के भू-जल स्तर में वृद्धि करना।
- 10.3 वन संपदा का विश्लेषण एवं मूल्यांकन**

इस प्रबंधन वृत्त में जिले के 70 वन खण्ड सम्मिलित है एवं वृत्त में शामिल वन क्षेत्रों का औसत घनत्व 0.4 से कम है। जोधपुर जिले में वनक्षेत्रों का घनत्व सामान्यतः .4 से अधिक नहीं है, चूंकि जिले में अधिकांश वन खण्ड 0 से .4 घनत्व के हैं।

10.4 उपचार विधियाँ

सभी प्रकार के भू-क्षरण के लिये वायुवेग एवं जल प्रवाह मुख्य कारण है। वायु जनित भू-क्षरण को रोकने/नियंत्रित करने हेतु वनस्पति आवरण में वृद्धि एक मात्र उपाय है। इसे मौजूदा वनस्पति का संरक्षण कर एवं वृक्षारोपण के माध्यम से ही संभव किया जा सकता है। परंतु प्रारंभिक अवस्था में जब तक कि वनस्पति आवरण नहीं पनपे तब तक भी इस भू-क्षरण को रोकना आवश्यक है।

इस हेतु निम्न विधि प्रमुख उपचार है

10.4.1 मलिंग

स्थानीय रूप से उपलब्ध छोटी झाड़ियों तथा खींप व सणियाँ को कतार में उल्टा रोप दिया जाता है। सणियाँ का उपरी झुरमुट रेत में 8"-10" दवा दिया जाता है और जड़ें उपर रहती हैं। इन कतारों को क्यारीनुमा बनाया जाता है। तथा बीच में विकर्ण भी डाला जाता है। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी यद्यपि भू-क्षरण की तीव्रता पर निर्भर करती हैं परंतु सामान्यतया तथा यह दूरी 3 से 5 मीटर रखी जाती है। इन कतारों के साथ फोग जैसी स्थानीय परस्थितियों में पनपने वाली वनस्पति का बीज भी डाल दिया जाता है। क्यारीनुमा संरचना के बीच में पौधारोपण किया जाता है।

10.4.2 मिट्टी के चैक डैम (अर्दन चैक डैम)

रेतीले धोरों में जहाँ क्षरण नियंत्रित करने हेतु मलिंग का प्रयोग करा जाता है वहीं स्थिर टिब्बों में जहाँ वर्षा जल का बहाव होता है वहाँ बहाव क्षेत्र के नालों में रेत को आड़ा जमा कर मिट्टी के चैक डैमों (अर्दन चैकडैम) की शृंखला का निर्माण करा जाता है। एक चैक डैम से दूसरे चैक डैम की दूरी नाले के ढाल पर निर्भर करती है। सामान्यतया उपर वाले चैक डैम का निचला भाग एवं नीचे वाले चैक डैम का उपरी भाग समान ऊंचाई पर होते हैं। चैक डैम निर्माण के समय मिट्टी को दबाकर नीचे से चौड़ी व ऊपर से संकड़ी संरचना का निर्माण करा जाता है। और उसे मजबूती प्रदान करने के लिये चैक डैम के ऊपर स्थानीय धास (मैंजा, सेवण, धामण) के मूँजे (जनजि) भी रोपित किये जाते हैं।

सत्यापित प्रतिलिपि

10.5 जल संरक्षण हेतु उपचार विधियाँ

जल संरक्षण हेतु उपचार विधियाँ निम्न अनुसार है

10.5.1 खड़ीन

मरु क्षेत्रों लगभग समतल क्षेत्रों में जल संग्रहण की यह पारंपरिक विद्या है। समतल क्षेत्रों में 1 से 1.5 मीटर ऊंची मिट्टी की पाल बना कर पानी के बहाव को रोका जाता है। जल संग्रहण के उपरांत जब पानी सूख जाता है। तो भूमि के जल स्तर में वृद्धि के साथ जल संग्रहण क्षेत्र में लंबे समय तक नमी बनी रहती है और उस स्थान पर गेहूँ की सघन खेती की जाती है। आसपास की वनस्पति को इसी नमी का लाभ मिलता है और उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है।

10.5.2 एनीकट

नालों के पानी को उपयुक्त स्थानों पर लगभग एक से दो मीटर ऊँचाई वाले पक्के अवरोध (आवश्यकता अनुसार कच्चे भी) का निर्माण कर जल संग्रहण किया जाता है। इस संरचना को एनीकट कहा जाता है। यह एक वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर है अर्थात् इसमें पानी कुछ समय संग्रहित रहकर भू जल में समा जाता है और पुनः वर्षा आने पर इसमें पुनः जल संग्रहित हो जाता है निरंतर जल संग्रहण प्रक्रिया के कारण यह भू-जल स्तर की वृद्धि में सहायक होता है एवं अवरोध के कारण इसके उपर होकर प्रवाहित होने वाले जल की गति अवरुद्ध होकर धीमी हो जाती है और इस प्रकार पानी से होने वाले कटाव व भू क्षरण को कम करती है।

10.5.3 चैक डैम

पहाड़ी एवं ढलान वाले क्षेत्रों के छोटे-छोटे नालों में उपलब्ध पत्थरों से या स्थानीय परिस्थितियों एवं उपलब्धता अनुसार बाहर से मंगवाकर सूखी चुनाई द्वारा जल बहाव के समकोण पर एक से दो मीटर (अधिकतम) ऊंचे अवरोध निर्माण को चैक डैम कहा जाता है। अपने नाम के अनुरूप यह पानी की गति को चैक कर नियंत्रित करता है, कुछ समय के लिये जल रुकता है और फिर कच्ची सूखी चुनाई में से रिस कर बहता है। जल के ठहराव के कारण भू-जल में वृद्धि के साथ-साथ आस पास के क्षेत्र में नमी का विकास होता है। यह संरचना नालों में मिट्टी के कटाव को रोकने में अत्यंत प्रभाव है।

10.5.4 कंट्रर ट्रेंच

पहाड़ी एवं ढलान वाले क्षेत्रों में समान ऊँचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के कंट्रर कहा जाता है। कंट्रर के सहारे खोदी जाने वाली छोटे आकार की खाई को कंट्रर ट्रेंच कहा जाता है। ढलान वाले क्षेत्रों में भू-एवं जल संरक्षण की यह अत्यंत कारगर

विधि है। लगभग 2 से 3 मीटर लंबी एवं 30 से 50 से.मी. गहरी एवं 30 से. मी. चौड़ी खाई खोदी जाती है। ट्रैच की लंबाई के बराबर ही ट्रैचों की दूसी रखी जाती है और इन खाईयों को स्टेगहूँ पैटर्न में खोदा जाता है ताकि ट्रैचों के बीच में होकर बहने वाले पानी को अगली ट्रैच में संग्रहित किया जा सके। ट्रैच की खोदी हुई मिट्टी को नीचे की ओर ढोले के रूप में एकत्र कर दिया जाता है इस ढोले पर स्थानीय रूप से उपयुक्त प्रजातियों जैसे— कुमठा, बेर, जाल आदि के बीजों को बोया जाता है।

बीड़िच एवं कटूर डाइक का निर्माण भी भू-एवं जल संरक्षण में सहायक रहता है।

10.5.5 नाड़ी निर्माण

जिन स्थानों पर थोड़ी चिकनी मिट्टी हो एवं पानी की आवक हो वहाँ पर छोटे तालाबों का निर्माण कर जल भण्डारण किया जाता है। इस संरचना को स्थानीय भाषा में नाड़ी के नाम से जाना जाता है। चिकनी मिट्टी को खोद कर वहीं पर उसी मिट्टी की पाल बना दी जाती है।

नाड़ी निर्माण से वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण किया जाता है।

10.5.6 टांका निर्माण

जल भण्डारण की पारंपरिक विधि जिसमें भूमि में चौकोर अथवा गोल आकार का खड़ा खोद कर उसमें लिपाई कर दी जाती है और उसके चारों ओर क्षेत्र में मुरड आदि बिछाकर उपरी सतह को थोड़ा कठोर बना दिया जाता है। चारों ओर की सतह का ढलान खड़े की ओर रखा जाता है। इस संरचना में वर्षा जल संग्रहित कर लकड़ी व झाड़ियों से ढक दिया जाता है एवं आवश्यकता अनुसार जल उपयोग में लिया जाता है। तकनीकी विकास के साथ-साथ खड़ों के स्थान पर पक्की सीमेंट की संरचनायें भी तैयार की जाने लगी हैं। टांके का आधार आवश्यकता एवं सुविधानुसार रखा जाता है। मृदा एवं जल संरक्षण की उपरोक्त विधियों के अतिरिक्त स्थानीय अनुभव व मौके की परिस्थितियों के अनुसार मृदा एवं जल संरक्षण कार्य किये जाने चाहिये। वनस्पति आच्छादन एवं विस्तार हेतु टिक्का स्थिरिकरण, शैल्टर वैल्ट प्लांटेशन एवं वृक्षारोपण गतिविधियाँ के द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण कार्य संपादित कराये जावेंगे।

10.6 वित्तीय पूर्वानुमान

इस कार्यवृत में 4 रेंजों का वन क्षेत्र सम्मिलित है। यदि प्रति रेंज 200 हैं कार्य सम्पादित किया जाये तो 800 हैं वार्षिक क्षेत्र उपचारित किया जा सकेगा। यद्यपि कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार उन पर मॉडल एवं कार्यों का आंकलन किया जावेगा परन्तु इस कार्यवृत में सामान्यतः आर.डी.एफ. मॉडल के अनुरूप यदि कार्य कराए जावे तो वर्तमान स्वीकृत दर 50,200 रुपये प्रति हैं के अनुसार प्रति वर्ष 40160000 रुपये का

व्यय प्रतिवर्ष अनुमानित होगा एवं कार्य आयोजना अवधि में 8000 है। क्षेत्र उपचारित करने पर कुल व्यय 40 करोड़, 16 लाख होगा। यह अनुमान श्रमिक दर 147/- प्रति दिन के आधार पर आंकित है। श्रमिक दर में वृद्धी के अनुरूप यह व्यय बढ़ सकता है।

सत्यापित् प्रतिलिपि

उप वन संरक्षक
जोधपुर